



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266356
CG-DL-E-24092025-266356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 619]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 703(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क के साथ पठित कंपनी सचिव गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रियाओं के नियम 8 के उप-नियम(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तों और भत्ते नियम, 2006 के अनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2007 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (1), (2) और (3) और उसके बाद प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी: -

"(1). श्री राकेश मोहन, (सेवानिवृत्त आईए और एएस),

अध्यक्ष;

बी-2, टॉवर, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली-110023

- (2) श्री ज्योति प्रकाश गाडिया, सदस्य;
903-906, टॉवर-सी, बिजेनस ज़ोन,
निर्वाण कंट्री, सेक्टर -50,
गुरुग्राम, हरियाणा-122018।
- (3) सुश्री दीपना गोकुलर्म, सदस्य.”
प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक-I),
सी एंड एजी का कार्यालय, पॉकेट-9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110124.

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 3(4) विविध/2015-पीआई]

शांतनु मित्र, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2007 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में संख्या सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 6 फरवरी, 2012 के माध्यम से संशोधित की गई थी; सा.का.नि. 564(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 323(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2015; सा.का.नि. 969(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2015; सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 22 मार्च, 2016; सा.का.नि. 539(अ), दिनांक 23 मई, 2016; सा.का.नि. 1246(अ), दिनांक 11 अक्टूबर, 2017; सा.का.नि. 1001(अ), दिनांक 8 अक्टूबर, 2018; सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 14 जनवरी, 2020; सा.का.नि. 339(अ), दिनांक 1 जून, 2020; सा.का.नि. 726(अ), दिनांक 16 नवंबर, 2020; सा.का.नि. 819(अ), दिनांक 14 नवंबर, 2022; सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 और सा.का.नि. 281(अ), दिनांक 10 मई, 2024 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

G.S.R. 703(E).—In exercise of the powers conferred by section 29A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Company Secretaries Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (1), (2) and (3) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

- “(1). Shri Rakesh Mohan,(Retd. IA and AS), Chairperson;
B-2, Tower, New Moti Bagh,
New Delhi-110023

- (2) Shri Jyoti Prakash Gadia, Member;
903-906, Tower -C, Business Zone,
Nirvana Country, Sector-50,
Gurugram, Haryana- 122018.
- (3) MS. Deepna Gokularm, Member.”.
Principal Director (Commercial-I),
O/o C and AG,
Pocket-9 Deen Dayal Upadhyaya Marg,
New Delhi-110124.

3. This notification shall come into force from on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 3(4) Misc./2015-PI]

SANTANU MITRA, Senior Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 490(E), dated the 13th July, 2007 and subsequently amended vide number G.S.R. 68(E), dated the 6th February, 2012; G.S.R. 564(E), dated the 21st August, 2013; G.S.R. 323(E), dated the 27th April, 2015; G.S.R. 969(E), dated the 15th December, 2015; G.S.R. 328(E), dated the 22nd March, 2016; G.S.R. 539(E), dated the 23rd May, 2016; G.S.R. 1246(E), dated the 11th October, 2017; G.S.R. 1001(E), dated the 8th October, 2018; G.S.R. 33(E), dated the 14th January, 2020; G.S.R. 339(E), dated 1st June, 2020; G.S.R. 726(E), dated 16th November, 2020; G.S.R. 819(E), dated 14th November, 2022; G.S.R. 734(E), dated the 12th October, 2023 and vide G.S.R. 281(E), dated the 10th May, 2024.